न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 174/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम पूनमचन्द

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदरासर (प०स० बीकासर) अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल पूनमचन्द पुत्र भैराराम जाति जाट (नाई) निवासी उदरासर प०स० बीकासर द्वारा ग्राम उदरासर प०स० बीकासर के आराजी खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु. श्मशान भूमि में से 182 वर्गमीटर भूमि पर सम्वत 2025 में नाजायज गै.मु. श्मशान अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल ने निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस में लिखा है कि हमने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है मेरा मकान आबादी भूमि में बना हुआ है हमने विरुद्ध चारा जारी कार्यवाही ड्राप फरमावें।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पक्का मकान अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल पूनमचन्द का उक्त खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है. गै.मु. श्मशान भूमि में से 182 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल पूनमचन्द अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल पूनमचन्द जाति जाट निवासी उदरासर प०स० बीकासर द्वारा ग्राम उदरासर प०स० बीकासर के आराजी ख.नं. 89 तादादी 2.87 है. है. गै.मु. श्मशान . भूमि में से 182 वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2025 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.02 का 50 गुणा से 100 रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार (मुहर): श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज